



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 133 /2025

दिनांक- 10.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 10.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- जीयनपुर: नाबालिक अपहृता की सकुशल बरामदगी

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 09.04.2025 को वादिनी थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ थाना कार्यालय उपस्थित आकर लिखित तहरीर दिया कि वादिनी की लडकी को दिनांक 09/04/2025 को समय सुबह करीब 4 बजे अफसर पुत्र सराफत अली निवासी रघुनन्दपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 133/2024 धारा 137(2)/87/61(2) BNS बनाम 1.अफसर पुत्र सराफत अली 2. तेजाबुननिशा पत्नी मो0 जाबीर 3. इमराना पत्नी आबीर निवासीगण रघुनन्दपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही उ0नि0 श्री विश्वजीत पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 7/8 पास्को एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 10.04.2025 को उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अफसर पुत्र सराफत अली रघुनन्दपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को रजादेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ से समय लगभग 10:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 133/2024 धारा 137(2)/87/61(2) BNS बढ़ोतरी धारा 7/8 पास्को एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय थाना जीयनपुर आजमगढ़
- का0 अमर प्रसाद थाना जीयनपुर आजमगढ़
- म0आ0 अर्चना कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

